तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **हनुमान बनाम श्योराम** **अपील संख्या 335/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00240)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट व अपीलार्थी स्वयं उपस्थित जिनकी पहचान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि पक्षकारान के बीच राजीनामा हो गया है तथा मौके पर दोनों पक्षकारान अपने-अपने राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर जमीन का बंटवारा कर लिया है एवं पटवारी हल्का को मौके पर बुलाकर जमीन की नाप करवाकर अपने-अपने हिस्से एवं सीमा तय कर लोहे के पुख्ता निशानात कायम कर लिये है इसलिये अब पक्षकारान के बीच कोई विवाद शेष नही बचा है। अतः पक्षकारान के मध्य आपस में उपरोक्तानुसार राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थी अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है इसलिये अपीलार्थी अपील का नोटप्रेस करता है इस कारण से अपील को नोटप्रेस के आधार पर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थी स्वयं की अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है तथा नोटप्रेस कर दी है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने एवं अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील को नोटप्रेस किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 9/1/23 (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	